संख्या-39/2023/1767176/63-व0उ0-2023

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 20 दिसम्बर,2023

विषय:- पी0एम0 मित्र पार्क लखनऊ-हरदोई की एस0पी0वी0 के पेड-अप कैपिटल में राज्य सरकार के अंश हेतु रू0 510.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1119/ह0क0/नियोजन/2023-24 दिनांक 30.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0 मित्र पार्क योजनान्तर्गत एस0पी0वी0 के पेड-अप कैपिटल में राज्य सरकार के अंश हेतु रू0 510.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पी0एम0 मित्र पार्क एस0पी0वी0 के योजनान्तर्गत पेड-अप कैपिटल में राज्य सरकार के अंश हेतु रू0 510.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) धनराशि का आहरण यथाशीघ्र इस हेतु निर्धारित बैंक खातों में हस्तानान्तरित कर शासन को सूचित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-308/63-व0उ0-2023-4(एच)/2022 दिनांक 24-02-2023 एवं संख्या-26/2023/1226/63-व0उ0-2023-4(एच)/2022 दिनांक 03.08.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 रू0 510.00 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-103-हथकरघा उद्योग-03-पी0एम0 मित्र योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ-हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पी0एम0मित्र) पार्क की स्थापना-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं दिनांक 07-12-2023 एवं संगत शासनादेशों द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-E-6-148-X-2023-24 दिनांक 18-12-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक-तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।